

18.12.2024

वकील प्राचीनी अन्वपार्षित / नूंक मूलतः का निस्ताना
हो चुका है। ऐसी सूत में आवेदन पत्र भ्रमो चलाने का
औचित्य नहीं है। मिहाजा प्राची का आवेदन पत्र इसी
स्टेज पर खारिज किया जाता है।

फावली फैसल सुमार होकर दाखिल इफ्तर हो

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बलेश्वर